(29)

संख्या–652/VI-2/2011–4(5)2004

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 29 जुलाई, 2011**

विषयः– जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के निकट थानी ग्राम में निर्माणाधीन सिविल सर्विसेस इन्ट्रीटयूट के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–785/सविसर्विपत्रा0/2011–12/दे0दून दिनांक 07 जुलाई, 2011, शासनादेश संख्या–326/VI–2/2011–4(5)2004 दिनांक 29 मार्च, 2011 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के निकट थानी गांव में सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित/संस्तुत कुल ₹1487.54 लाख (₹ चौदह करोड सत्तासी लाख चौवन हजार मात्र) मात्र के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि ₹ 1034.19 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹453.35 के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 80.00 लाख (₹ अस्सी लाख मात्र) मात्र की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 571/XXVII (1)/2010 दि0–19–10–2010 के विहित शर्तो के अनुसार अगले चरण के लिए शीघ्रता से समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

...(2)

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0 वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

6. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद-स्टेडियम-06-सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 652/VI-2/2011-4(5)/2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, ii-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. एन0आई0सी0, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।